

629

**बिहार सरकार,
कृषि विभाग।**

पत्र संख्या-4-विकास योजना-3/2013-14- 629 / दि० वि०, पटना, दिनांक-27/11/2014

प्रेषक,

विश्वनाथ चौधरी,
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
-सह-
अपर सचिव, कृषि विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।(+)

विषय : दियारा विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1466.43 लाख रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन अनुसूचित वर्ग के लाभुकों के लिए तत्काल व्यय हेतु 98.00 लाख रु० (अन्तानवें लाख रुपये) की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा दियारा विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1466.43 लाख रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन अनुसूचित वर्ग के लाभुकों के लिए तत्काल व्यय हेतु 98.00 लाख रु० (अन्तानवें लाख रुपये) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के द्वितीय अनुपूरक आगनन से उपबंध कराने के बाद किया जायेगा।

2. उक्त योजना में कार्यमद एवं वित्तीय लक्ष्य का विवरण अनुसूची-I एवं II पर संलग्न है। दियारा विकास योजना 25 जिलों में कार्यान्वित किया जायेगा। योजना अन्तर्गत बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सारण, सीवान तथा गोपालगंज जिलों को शामिल किया जायेगा।

3. योजना के अधीन गोर्डस की सब्जी (नेनुआ, कद्दू, करैला) तथा भिंडी के शंकर किस्म के बीज वितरण के कार्यक्रम चलाये जाएंगे। मटर के उन्नत/शंकर प्रभेद के बीज वितरण के भी कार्यक्रम चलाये जायेंगे। अधिक उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए शंकर किस्म के बीज वितरण के कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

4. अनुमान्य अनुदान दर का निर्धारण विभागीय यूनिट कास्ट कमिटी द्वारा किया गया है।

5. अधिक उत्पादन के लिए शंकर/उन्नत किस्म के बीज सामग्री किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। अनुमान्य बीज सामग्री की खरीद किसान स्वयं करेंगे। गोर्डस की सब्जी (नेनुआ, कद्दू, करैला) तथा भिंडी के शंकर किस्म के बीज के क्रय पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 8000.00 रु० प्रति हे० किसानों को सहायतानुदान कैम्प में एकाउन्ट पेयी चेक/RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। मटर के उन्नत/शंकर बीज के क्रय पर किसानों को मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 3000.00 रु०

तकनीकी पदाधिकारी परियोजना पदाधिकारी
द्वारा विकास परियोजना दियारा विकास परियोजना

प्रति हे० किसानों को कैम्प में एकाउन्ट पेयी चेक/RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। एक किसान को अधिकतम एक एकड़ क्षेत्र के लिए बीज उपलब्ध कराया जायेगा। इस उद्देश्य से चुने गए गाँवों/प्रखंडों में शिविर का आयोजन किया जायेगा। शिविर में बीज की उपलब्धता के लिए पर्याप्त संख्या में विक्रेताओं को आमंत्रित किया जायेगा।

6. मटर बीज की उपलब्धता में कृषि विश्वविद्यालय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। यदि कृषि विश्वविद्यालय से बीज की प्राप्ति संभव नहीं हो तो सरकारी क्षेत्र में बीज उत्पादन करने वाली एजेंसी से बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

7. गोर्डस की सब्जी (नेनुआ, कद्दू, करैला) तथा भिंडी सब्जी के शंकर प्रभेद किसानों के रुझान एवं उत्पादन क्षमता को देखते हुए निजी कम्पनियों के शंकर बीज किसानों को अनुदानित दर पर कैम्प में उपलब्ध कराए जायेंगे।

8. दियारा क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा के विकास के लिए पी०भी०सी० पाईप बोरिंग के लिए लागत का 50 प्रतिशत (100 फीट हेतु) अधिकतम 6750.00 (छः हजार सात सौ पचास) रु० प्रति यूनिट का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन कलस्टर में किया जायेगा। ईच्छुक कृषकों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। चुने गये ईच्छुक कृषकों को जिला कृषि पदाधिकारी/इनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र निर्गत किये जायेंगे। चुने गये सभी ईच्छुक किसानों को कैम्प लगाकर योजना का लाभ दिया जायेगा। कैम्प के दौरान पी०भी०सी० पाईप बोरिंग को सफलता पूर्वक चलने के उपरांत कैम्प में ही अनुदान का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक/RTGS के द्वारा किया जायेगा।

9. उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभिन्न प्रकार के प्रशासकीय तथा तकनीकी आलेखों के प्रिंटिंग के लिए निधि स्वीकृति का प्रस्ताव है। कृषि विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए उप कृषि निदेशक (सूचना) जिम्मेवार होंगे।

10. योजना कार्यान्वयन के लिए संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना योजना की स्वीकृति हेतु नोडल पदाधिकारी होंगे। राज्य स्तर पर योजनाओं के कार्यों का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु परियोजना पदाधिकारी, दियारा विकास परियोजना, बिहार, पटना उत्तरदायी होंगे। कृषि निदेशक, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

11. उक्त स्वीकृत राशि में से 98.00 लाख रु० (अन्ठानवें लाख रुपये) का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या- 1- उप शीर्ष- 0113- टाल और दियारा विकास योजना विपत्र कोड- पी०- 2401007890113" राज्य योजना स्कीम कोड- ए०जी०आर०-5020, विषय शीर्ष- 33-01 सब्सिडी अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के बजट में उपबंधित 98.00 लाख रु० से विकलनीय होगा।

12. अवशेष राशि की निकासी द्वितीय अनुपूरक आगनन प्राप्त होने के बाद की जायेगी।

13. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में कृषि मंत्री की स्वीकृति सचिका संख्या-4-विकास योजना-3/2013-14 के पृ०सं०- 19/टि० पर दिनांक- 26.08.2014 को प्राप्त है।

14. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

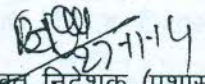
1227
15. राज्यादेश में वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या-4-विकास योजना-3/2013-14 के
पृ०सं०- 37/टि० पर दिनांक- 26/11/14 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विश्वनाथ चौधरी),
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
-सह-
अपर सचिव, कृषि विभाग,
बिहार, पटना।

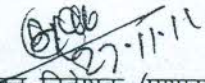
ज्ञापांक- 429 / दि०वि०, पटना, दिनांक- 27/11/2014

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द
पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
-सह-
अपर सचिव, कृषि विभाग,
बिहार, पटना।

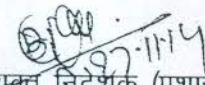
ज्ञापांक- 429 / दि०वि०, पटना, दिनांक- 27/11/2014

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
-सह-
अपर सचिव, कृषि विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 429 / दि०वि०, पटना, दिनांक- 27/11/2014

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
-सह-
अपर सचिव, कृषि विभाग,
बिहार, पटना।


तकनीकी पदाधिकारी परियोजना पदाधिकारी
दियारा विकास परियोजना दियारा विकास परियोजना
बिहार, पटना बिहार, पटना

ज्ञापांक- 429 /

दि०वि०, पटना, दिनांक-...../...../2014

प्रतिलिपि : मंत्री कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, कृषि विभाग/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बागवानी मिशन, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/निदेशक, पी०पी०एम० (कृषि विभाग)/संयुक्त कृषि निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना/परियोजना पदाधिकारी, दियारा विकास, बिहार, पटना/दलहन विकास पदाधिकारी, बड़हिया/संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को वांछित कार्रवाई तथा विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

तकनीकी पदाधिकारी परियोजना प्रमुख
दियारा विकास परियोजना प्रमुख
बिहार, पटना

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
-सह-
अपर सचिव, कृषि विभाग,
बिहार, पटना।

दियारा विकास कार्यक्रम के लिए वर्ष- 2014-15 के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू० में)		
		अनुसूचित जाति		
		योजना की कुल स्वीकृत राशि	तत्काल व्यय हेतु स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर	7.59520	3.17236	4.42284
2	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर	11.51360	4.80900	6.70460
3	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना	16.51200	6.89673	9.61527
4	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली	13.44800	5.61696	7.83104
5	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	8.04000	3.35815	4.68185
6	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	8.04000	3.35815	4.68185
7	जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण	9.12000	3.80924	5.31076
8	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर	3.15200	1.31653	1.83547
9	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी	4.91200	2.05164	2.86036
10	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया	6.74720	2.81817	3.92903
11	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा	8.48480	3.54393	4.94087
12	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल	7.84000	3.27461	4.56539
13	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा	11.95520	4.99345	6.96175
14	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ	8.48320	3.54326	4.93994
15	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार	8.48320	3.54326	4.93994
16	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर	12.60000	5.26277	7.33723
17	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर	8.48480	3.54393	4.94087
18	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय	6.74720	2.81817	3.92903
19	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर	11.95840	4.99478	6.96362
20	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय	11.95840	4.99478	6.96362
21	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा	7.39360	3.08816	4.30544
22	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी	13.89600	5.80408	8.09192
23	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण	8.04000	3.35815	4.68185
24	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान	7.39360	3.08816	4.30544
25	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज	8.68640	3.62814	5.05826
26	परियोजना पदाधिकारी, दियारा विकास परियोजना, बिहार, पटना	0.16000	0.07292	0.08708
27	उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना	2.98400	1.24051	1.74349
कुल		234.62880	98.00000	136.62880